

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर।

Email-faforest144@gmail.com Ph.No. 0141-2700086

क्रमांक एफ () 2021-22/वि.बैठक/लेखा/प्रमुखसं/

दिनांक : 10.2021

निदेशक, राज, वानिकी एवं वन्यजीव प्रशि. संस्थान, राज. जयपुर।

मुख्य वन संरक्षक, कोटा/जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/बीकानेर/भरतपुर।

मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/कोटा/सरिस्का अलवर/ बाघ परि. रणथम्भौर सवाई माधोपुर।

मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य जयपुर/आर.वी.पी. कोटा/ भू -संरक्षण जयपुर/

सिल्वा, ग्रास फार्म जयपुर / FPRP(बनास)।

वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रमुखसं, राज. जयपुर।

विषय:- विभागीय लेखा सम्बन्धी बिन्दुओं के सम्बंध में बैठक आयोजन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वन विभाग के निम्नलिखित लेखा सम्बन्धी बिन्दुओं की दिनांक 28.10.2021 को प्रातः 2.30 बजे विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कक्ष संख्या A-115 प्रथम तल बैठक रखी गई है।

बैठक दिनांक 28.10.2021 के लिए विचारार्थ कार्य सूची

- 1 बजट आवंटन तथा उपयोग
- 2 बी.एफ.सी. की तैयारी
- 3 महालेखाकार प्रतिवेदन के बकाया अनुच्छेद
- 4 निरीक्षण विभाग के विशेष जांच की बकाया अनुपालना
- 5 बकाया ओ.बी.आई.टी.एम
- 6 असमायोजित अग्रिम
- 7 नाकारा वाहन/सामान के निस्तारण के संबंध में
- 8 वॉम तथा कमिटमेंट कंट्रोल सिस्टम
- 9 राजस्व लक्ष्य एवं प्राप्ति

वरिष्ठतम लेखाकर्मी/सम्बन्धित कार्मिक को उक्त बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित होने हेतु पाबंद करावे। विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिये मिटिंग लिंक एवं पिन नम्बर ई-मेल जरिये भिजवाये जायेंगे।

भवदीय

(डॉ. देवराज)
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान जयपुर।

दिनांक : 26.10.2021

क्रमांक एफ () 2021-22/वि.बैठक/लेखा/प्रमुखसं/ 4685-97

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप वन संरक्षक, आई.टी. शाखा, अरण्य भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंस की समुचित व्यवस्था करने का कष्ट करे।
2. कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय ई-मेल/बेवसाइड पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. मुख्य लेखाधिकारी कैम्पा जयपुर/वरिष्ठ लेखाधिकारी वन्यजीव जयपुर।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी लेखा शाखा कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना के साथ बैठक में उपस्थित होवे।
5. सम्पदा अधिकारी, अरण्य भवन, जयपुर को मीटिंग हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था करने हेतु प्रेषित है।

वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान जयपुर।